मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 28/09/2020

क्रमांक एफ 10-11/2020/सत्रह/मेडि-2:: प्रदेश में राज्य रक्ताधान परिषद (State Blood Transfusion Council) का गठन दिनांक 15.10.1996 को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में किया गया था। राज्य रक्ताधान परिषद के गठन की अधिसूचना चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-2/96/55/चि.शि./3 दिनांक 12.09.1996 द्वारा जारी की गई थी। राज्य रक्ताधान परिषद का गठन वर्ष 1996 में किया गया था तब यह संस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत थी वर्तमान में यह संस्था लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत है, अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

DD/17/2020/59
5/10/20

साधारण सभा :

1.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग	:	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
3.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
4.	आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
5.	आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
6.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
7.	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश		सदस्य
8.	परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति		सदस्य
9.	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
10.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधी	:	सदस्य
11.	अपर महानिदेशक जनरल (पुलिस) अथवा उनके प्रतिनिधी	:	सदस्य
12.	अति.महानिदेशक, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद अथवा उनके प्रतिनिधी	:	सदस्य
13.	अतिरिक्त संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
14.	ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के विशेषज्ञ - अधिकतम दो	:	सदस्य
15.	सचिव, इंडियन रेडक्रास सोसायटी, स्टेट ब्रांच मध्य प्रदेश	:	सदस्य
16.	माननीय मंत्रीजी द्वारा नामांकित सदस्य	:	सदस्य
17.	विशेष आमंत्रित सदस्य - अध्यक्ष की अनुमति से	:	सदस्य
18.	राज्य समन्वयक, नेहरु युवा केंद्र/एन.सी.सी.	:	सदस्य
19.	प्रायवेट ब्लड बैंक के दो प्रतिनिधी	:	सदस्य

20.	स्वैच्छिक रक्तदान क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं के दो प्रतिनिधी	:	सदस्य
21.	शासकीय ब्लड बैंक के दो ब्लड बैंक अधिकारी	:	सदस्य
22.	संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद, मध्यप्रदेश	:	सदस्य सचिव

<u>कार्यकारिणी समिति :</u>

1.	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश	:	अध्यक्ष
2.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
3.	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश,	:	सदस्य
4.	परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति	:	सदस्य
5.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश		सदस्य
6.	संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
7.	अतिरिक्त संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश	:	सदस्य
8	ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का विशेषज्ञ	:	सदस्य
9	शासकीय ब्लड बैंक के ब्लड बैंक अधिकारी	:	सदस्य
10	प्रायवेट ब्लड बैंक के दो प्रतिनिधी	:	सदस्य
11	विशेष आमंत्रित सदस्य – अध्यक्ष की अनुमति से	:	सदस्य
12	स्वैच्छिक रक्तदान क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं के दो प्रतिनिधी	:	सदस्य
13	संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद, मध्यप्रदेश	:	सदस्य सदस्य

उप समिति (**Standing Committee**):-

1.	संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद, मध्यप्रदेश	:	अध्यक्ष
2.	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के प्रतिनिधी	:	सदस्य
3.	परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति के प्रतिनिधी	:	सदस्य
4.	अतिरिक्त संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं	:	सदस्य
5.	ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का विशेषज्ञ		सदस्य
6.	शासकीय ब्लड बैंक के ब्लड बैंक अधिकारी	:	सदस्य
7.	विशेष आमंत्रित सदस्य – अध्यक्ष की अनुमति से	:	सदस्य
8	उप संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद, मध्यप्रदेश	:	सदस्य सचिव

साधारण सभा के कार्य –

1. राज्य रक्ताधान परिषद के कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रदेश में रक्तकोष सेवाओं के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. प्रदेश में रक्तकोष सेवाओं का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण करना।

3. राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद (National Blood Transfussion Council) के मार्गदर्शन/ अनुशंसाओं अनुसार प्रदेश में रक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. नवीन ब्लड बैंक एवं ब्लड कम्पोनेंट सेप्रेशन केन्द्रों की स्थापना एवं रक्त का यथोचित उपयोग सुनिश्चित करना।
5. रक्ताधान क्षेत्र में शोध एवं विस्तार को बढ़ावा देना।
6. परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन प्रदान करना।
7. परिषद के आय-व्यय के लेखों का अनुमोदन प्रदान करना।
8. परिषद के सुचारु संचालन हेतु बजट का निर्धारण करना एवं केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान एवं राज्य अनुदान की उपलब्धता एवं उपयोग की समीक्षा करना।
9. परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शुल्क, दान अथवा अनुदान प्राप्त करना।

कार्यकारिणी समिति के कार्य –

1. राज्य रक्ताधान परिषद के सुचारू संचालन हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. राज्य रक्ताधान परिषद के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. प्रदेश में रक्त सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना।
4. रक्ताधान से संबंधित दिशा निर्देश जारी करना।
5. प्रदेश की जनसंख्या का 1% ब्लड की आवश्यकता के अनुरूप कुल रक्त संग्रहण करने के प्रयास करना।
6. स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना जिससे कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट के रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
7. स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जन संचार, सूचना-शिक्षा इत्यादि के माध्यम से सामाजिक प्रेरणा की दिशा में प्रयास करना।
8. होल ब्लड के स्थान पर ब्लड कंपोनेंट के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करना।
9. ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन सुविधा का विस्तार अधिक से अधिक ब्लड बैंक में करना।
10. प्रदेश के समस्त ब्लड बैंक्स के लिए में प्रोसेसिंग शुल्क का निर्धारण।
11. स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना जिससे कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट के रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
12. ब्लड बैंक में के रक्त की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
13. रक्त की सुगमता पूर्वक उपलब्धता हेतु नवीन ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज कम्पोनेंट यूनिट स्थापित करने के प्रयास करना।
14. प्रदेश के शासकीय ब्लड बैंक एण्ड ब्लड कम्पोनेट सेपरेशन यूनिट द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त प्लाज्मा प्रोडक्टस् के निष्पादन की अनुमति प्रदान करना।
15. केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान राशि का आवंटन नॉको सहायित ब्लड बैंक को स्वैच्छिक रक्तदान कैम्प, रक्तदान दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान सम्बंधी प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) एवं रक्तदाता के जलपान (Refreshment) के लिए करना।

16. ब्लड बैंक में पदस्थ अमले की दक्षता एवं क्षमता वृद्धि हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं अन्य प्रदेशों के मॉडल ब्लड बैंक का भ्रमण कराना।
17. स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरुस्कार प्रदान करना।

उप समिति के कार्य -

1. परिषद के दैनदिनी दायित्वों का सुचारु संचालन करना।
2. प्रदेश के समस्त स्वयंसेवी संस्था/परमार्थ संस्था के नये रक्तकोष, ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट एवं एफरेसिस सेंटर के लायसेन्स/नवीनीकरण एवं रक्तदान शिविर आयोजित के प्रकरण/आवेदनो का परीक्षण किया जाकर अनुमोदन प्रदान करना।

साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10-11/2020/सत्रह/मेडि-2 भोपाल, दिनांक 28/09/2020

प्रतिलिपिः- कृपया सूचनार्थ प्रेषित-

निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
7. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
8. अपर महानिदेशक जनरल (पुलिस), पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश।
9. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश
11. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
12. सचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।

13. संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश
14. अतिरिक्त महानिदेशक, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद, नई दिल्ली।
15. संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद, मध्यप्रदेश।
16. अतिरिक्त संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश
17. सचिव, इंडियन रेडक्रास सोसायटी, स्टेट ब्रांच मध्य प्रदेश
18. राज्य समन्वयक, नेहरु युवा केंद्र/एन.सी.सी.
19. उप संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद, मध्यप्रदेश।
20. उप संचालक (आई.टी.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्य प्रदेश कृपया विभाग की वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Ajay ji please upload.
5/10.